

पंजीकरण योजना वर्ष-2014

इन्दिरा गांधी नगर योजना, जयपुर

में अल्प आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग-अ के (जी+3) फ्लैट्स हेतु

(सभी आवेदकों हेतु)



दिनांक 19.12.2014
से 18.01.2015 तक



वसुन्धरा राजे
मुख्यमंत्री, राजस्थान



राजपाल सिंह शेखावत
नगरीय विकास मंत्री, राजस्थान

“ मण्डल का है यह सपना, सुंदर घर हो सबका अपना ”

आवासन मण्डल की योजनाओं के अन्तर्गत मकान प्राप्ति से विशेष लाभ

- मण्डल द्वारा निर्मित आवास/फ्लैट खरीदने का निर्णय लेते ही आपके धन, समय व श्रम की बचत होती है और आवास/फ्लैट बनाने के लिये आपको अलग से भूखण्ड खरीदने तथा उपकरण जुटाने की परेशानी में पड़ने की आवश्यकता नहीं होती।
- आवास/फ्लैट के लिये एक साथ पैसा जुटाने की आवश्यकता नहीं होगी। मण्डल के आवास/फ्लैट के लिये आप निर्धारित किश्त देते रहे तो भी कुछ ही वर्षों में आवास/फ्लैट आपका हो जायेगा।
- मण्डल द्वारा निर्मित आवास/फ्लैट का डिजाइन अनुभवी अभियन्ताओं/वास्तुकार द्वारा बनाया जाता है जिससे आवास/फ्लैट में न केवल समस्त आवश्यक सुविधायें उपलब्ध होती हैं बल्कि स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण में रहने का लाभ भी प्राप्त होता है।
- मण्डल का आवास/फ्लैट खरीदने का अर्थ होगा, सही तर्कसंगत मूल्य में वैज्ञानिक ढंग से विकसित कॉलोनी में उद्यान, स्कूल, दुकानें, यातायात सुविधाओं से युक्त साफ स्वस्थ और आकर्षक पर्यावरण का आवास।
- मण्डल बड़े पैमाने पर भवन निर्माण का कार्य करता है। अतः निर्विवाद-रूप से मंडल के आवास/फ्लैट सस्ते पड़ते हैं।

राजस्थान आवासन मण्डल

इन्दिरा गांधी नगर योजना, जयपुर
में अल्प आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग-अ के (जी+3) फ्लैट्स हेतु

“पंजीकरण योजना-वर्ष-2014”

(सभी आवेदकों हेतु)

प्रस्तावित कार्यक्रम

1. आवेदन-पत्र की बिक्री तिथि : 19.12.2014 से 18.01.2015 तक
2. आवेदन-पत्र ऑनलाईन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि: 18.01.2015
3. योग्य आवेदकों की वरीयता निर्धारण हेतु अस्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान :
4. अस्थाई सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि:
5. वरीयता निर्धारण हेतु योग्य आवेदकों की स्थाई सूची के प्रकाशन की तिथि एवं स्थान :
6. वरीयता निर्धारण हेतु लॉटरी आयोजन की तिथि एवं स्थान

अंतिम तिथि के पश्चात्
मंडल की वेबसाइट
www.rhbonline.rajasthan.gov.in
पर सार्वजनिक सूचना जारी की
जावेगी।

सम्पर्क सूत्र

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक राजस्थान आवासन मण्डल, जनपथ ज्योति नगर, जयपुर - 302015 फोन नं. : 0141-2740667	उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त तृतीय, मालवीय नगर, जयपुर - फोन नं. : 0141-2723844 संपदा प्रबन्धक 0141-2723844	आवासीय अभियन्ता, राजस्थान आवासन मण्डल, खण्ड-द्वितीय, ग्यारह, तेरह, इन्दिरा गांधी नगर, जयपुर द्वितीय-0141-2550472 (9982682745) ग्यारह-0141-2973987 (9983309406) तेरह -0141-2973963 (9828127727)
---	--	--

विशेष:

आवेदन पत्र मण्डल की वेबसाइट से ऑन-लाईन ही भरे जावेंगे या रु. 30/- का भुगतान कर लोक मित्र के काउंटेर्स से भी भरे जा सकते हैं। इस हेतु आवश्यक राशि आवेदक सीधे ही अपने बैंक के माध्यम से / क्रेडिट कार्ड के माफ़त जमा करवा सकता है या चालान प्रिन्ट कर सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या 3398557046 आई.एफ.एस.सी. कोड **CBIN0283291** में किसी भी सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के खाते में जमा करवा सकते हैं।

ध्यान देने योग्य आवश्यक बिन्दु:-

1. आपके द्वारा जिस आय वर्ग के लिए आवेदन किया जा रहा है, उसके अनुसार पंजीकरण की पूर्ण राशि का बैंक ड्राफ्ट जो कि “राजस्थान आवासन मण्डल” के पक्ष में सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया में जमा करवा दी गई है एवं उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख ली गई है।
2. आवेदन-पत्र पर हस्ताक्षर अपलोड कर दिये हैं।
3. आवेदन-पत्र पर अपनी नवीनतम फोटो अपलोड कर दिये हैं।
4. कोई अन्य सूचना, जो प्रपत्र में मांगी गई है, भर दी गई है।
5. आवेदन-पत्र के बिन्दु संख्या 15 के अनुसार वरीयता लॉटरी में सफल होने पर उक्त बिन्दु में अंकित दस्तावेजों की सत्यापित प्रति / नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर मण्डल के निर्धारित प्रपत्र में नोटेरी पब्लिक / राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराते हुए प्रस्तुत कर दूंगा/ दूंगी। मेरे द्वारा उक्त प्रपत्र में निर्धारित अवधि में प्रस्तुत नहीं किए जाने की दशा में मण्डल मेरा पंजीकरण बिना किसी सूचना के निरस्त करने के लिए स्वतंत्र होगा जिसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा / रहूंगी।



राजस्थान आवासन मण्डल

मण्डल द्वारा निर्मित फ्लैटों के लिये पंजीकरण हेतु सामान्य निबंधन एवं शर्तें

“पंजीकरण योजना-वर्ष-2014”

(सभी आवेदकों हेतु)

इन्दिरा गांधी नगर योजना, जयपुर
में अल्प आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग-अ के (जी+3) फ्लैट्स हेतु

राजस्थान आवासन मण्डल का गठन राज्य सरकार द्वारा अधिनियम संख्या 4/1970 के अन्तर्गत वर्ष 1970 में राज्य में आवासों की कमी पूर्ति हेतु किया गया था। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मण्डल वैज्ञानिक ढंग से कॉलोनियों का निर्माण कर स्वच्छ, स्वस्थ एवं उत्कृष्ट पर्यावरण में सभी आय वर्गों के लिए मकान उपलब्ध कराने के लिये कार्यरत है। मण्डल का सदैव यह प्रयास रहा है कि वह ऐसे आवास बनाये जो हवादार हों, आरामदायक हों व जिनमें पानी, बिजली जैसी समस्त मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हों। मण्डल का यह भी प्रयास रहा है कि आवासों की कीमत तर्कसंगत हो व संबंधित आय वर्ग के आवेदक की भुगतान क्षमता में हो।

“पंजीकरण योजना, वर्ष 2014” का विवरण

इस योजना में प्रस्तावित आवासों/ फ्लैट का विवरण आयवर्गानुसार निम्नानुसार है:-

तालिका-1

क्र. सं.	आय वर्ग	अनुमानित संख्या	अनुमानित निर्मित क्षेत्रफल (SBA) (वर्ग फीट में)	अनुमानित लागत (रु. लाखों में)
1.	अल्प आय वर्ग (जी+3) सैक्टर-9, इन्दिरा गांधी नगर, जयपुर	भूतल	36	508.336
		प्रथम तल	36	508.336
		द्वितीय तल	36	508.336
		तृतीय तल	36	508.336
		कुल	144	
2.	मध्यम आय वर्ग(अ)(जी+3) सैक्टर-4, 5 एवं 7, इन्दिरा गांधी नगर, जयपुर	भूतल	52	804.00
		प्रथम तल	52	804.00
		द्वितीय तल	52	804.00
		तृतीय तल	52	804.00
		कुल	208	

नोट:-

- आवासों/ फ्लैटों की अनुमानित संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन किया जा सकता है।
- उक्त तालिका में आवासों/ फ्लैट की केवल अनुमानित लागत दर्शाई जा रही है। अतः मण्डल द्वारा आवास/ फ्लैट आवंटन के समय लागत सिद्धान्तों के अनुसार अंतिम रूप से निर्धारित लागत ही मान्य होगी व इस हेतु आवंटन का कोई आक्षेप/ विवाद मान्य नहीं होगा।
- उक्त सभी आवास एक ही योजना के हैं जिसमें आवासों का आवंटन आय वर्ग अनुसार किसी भी तल एवम् किसी भी सैक्टर में लॉटरी द्वारा किया जायेगा।

आवासीय योजना की विशेषताएं:-

यह आवासीय योजना मालवीय नगर योजना व खातीपुरा रेलवे स्टेशन के मध्य एवं रेलवे कॉलोनी, जगतपुरा, जयपुर के समीप स्थित है। इस आवासीय योजना की प्रमुख स्थानों से दूरी निम्न है :-

1 मालवीय नगर	05.00 कि.मी
2 जगतपुरा रेलवे स्टेशन	04.00 कि.मी
3 जवाहर सर्किल	07.00 कि.मी

पंजीकरण की पात्रता एवं शर्तें :-

आवासों/ फ्लैट्स का आवंटन राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के अन्तर्गत तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी नियमों, उपनियमों, परिपत्रों एवं अनुबंधों के अनुसार किया जावेगा।

- राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किसी भी वयस्क भारतीय नागरिक, जिसकी आवेदन-पत्र भरने की तिथि को आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिये, को आवासन मण्डल द्वारा आवेदित शहर अथवा किन्हीं दो शहरों में आवास/ फ्लैट का आवंटन किया जा सकता है। यदि किसी आवेदक को आवासन मण्डल द्वारा आवेदित शहर में किसी भी पद्धति यथा सामान्य/ विशिष्ट पंजीकरण, स्ववित्त पोषित योजना, खुली बिक्री अथवा नीलामी द्वारा पूर्व में आवास/ फ्लैट आवंटन हो चुका है अथवा अन्य से क्रय किया हुआ है, तो वह इस योजना में आवास/ फ्लैट आवंटन का पात्र नहीं होगा।
- इस योजना में राजस्थान आवासन मण्डल सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के प्रावधान के अनुसार पति अथवा पत्नी एवं आश्रितों में से कोई एक व्यक्ति स्वतंत्र रूप से अथवा संयुक्त रूप से एक ही आवास/ फ्लैट आवंटन की पात्रता रखेगा।
- आवेदक स्वयं का अथवा आवेदक की पत्नी/ पति या आवेदक पर आश्रित संबंधी के पास आवेदित शहर में फ्री होल्ड अथवा लीज होल्ड किसी भी प्रकार का पूर्ण या आंशिक आवास/ भूखण्ड नहीं होना चाहिए।
- (अ) आवेदक के पास आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी स्थायी खाता संख्या PAN होना चाहिए एवं आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उसका उल्लेख किया जाना चाहिए। (जहां लागू हो)
(ब) आवेदक के पास भारतीय विशिष्ट पहचान पत्र “आधार कार्ड” (यू.आई.डी.) के नम्बर है तो आवेदन पत्र में निर्धारित स्थान पर उल्लेखित किये जाने चाहिए। (यदि प्राप्त कर लिये हो)
- प्रस्तावित योजना में किसी संस्था/ कम्पनी के नाम से भरा गया आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- यदि कोई पूर्व पंजीकृत आवेदक जिसे मण्डल द्वारा आवेदन की तिथि तक आवास/ फ्लैट का आवंटन नहीं किया गया है एवं यदि वह इस योजना में आवेदन करता है तो उसकी पूर्व निर्धारित वरीयता के आधार पर आवास/ फ्लैट आवंटन में प्राथमिकता दी जायेगी। इस बाबत आवेदक अपने पूर्व पंजीकरण एवं वरीयता क्रमांक का उल्लेख आवेदन फार्म में करेगा तथा शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करेगा कि उसका पूर्व पंजीकरण निरस्त नहीं किया गया है तथा न ही आवासन मण्डल द्वारा

7. मण्डल द्वारा आवासों/फ्लैटों के आवंटन में आरक्षित कोटे का प्रावधान निम्नांकित श्रेणियों/वर्गों के लिए उनके समक्ष अंकित प्रतिशत के अनुसार होगा:-

तालिका-2

क्र. सं.	ग्रुप	आवेदक की श्रेणी	आरक्षित कोटा	योजना में LIG श्रेणी के आरक्षित फ्लैट	योजना में MIG-A श्रेणी के आरक्षित फ्लैट
1	जी-1	वैतनिक श्रेणी-प्रथम (केन्द्र सरकार के कर्मचारी तथा केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के बोर्ड/निगम के कर्मचारी/प्राइवेट सेक्टर में कार्यरत कर्मचारी) वैतनिक श्रेणी-द्वितीय (राज्य सरकार के कर्मचारी, अधिकारी)	18 प्रतिशत 10 प्रतिशत	26 14	37 21
2	जी-2	सामान्य श्रेणी - प्रथम द्वितीय - प्रोफेशनल्स श्रेणी (एडवोकेट, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट एवं प्राइवेट डाक्टर्स)	29 प्रतिशत 5 प्रतिशत	44 7	62 10
3	जी-3	मण्डल कार्मिक (बोर्ड कर्मचारी)	1 प्रतिशत	1	2
4	जी-4	अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत	23	33
5	जी-5	अनुसूचित जन जाति	12 प्रतिशत	17	25
6	जी-6	वर्तमान एवं भूतपूर्व विधायक/सांसद/अधिसूचित पत्रकार	1.5 प्रतिशत	2	3
7	जी-7	स्वतन्त्रता सेनानी	0.5 प्रतिशत	1	1
8	जी-8	भू सैनिक एवं सैनिकों की विधवाएं	3 प्रतिशत	4	6
9	जी-9	विकलांग (अंधता/शारीरिक/मूक बधिर)	1 प्रतिशत, 1 प्रतिशत, 1 प्रतिशत	4	6
10	जी-10	वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिक/ ऐशियाड / ओलम्पिक पदक प्राप्त खिलाड़ी	1 प्रतिशत	1	2
		योग	100 प्रतिशत	144	208

नोट:-I. उपरोक्तानुसार किसी भी आरक्षित वर्ग में योग्य आवेदक आवास/फ्लैट आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में शेष आरक्षित आवास/फ्लैट सामान्य श्रेणी के आवेदकों को आवंटित किए जाएंगे।

II श्रेणीवार आरक्षण कोटा अनुसार आवश्यक प्रमाण पत्र/शपथ-पत्र वरीयता लॉटरी में सफल घोषित होने पर अनिवार्य-रूप से देना होगा अन्यथा आवेदक का पंजीकरण निरस्त कर नियमानुसार कटौति कर शेष राशि लौटा दी जावेगी।

8. यदि वर्तमान एवं कालान्तर में आवेदक के द्वारा दिये गये दस्तावेज/सूचनाएँ गलत, झूठी अथवा असत्य पाई जाती है तो उस आवेदक का पंजीकरण/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटौती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।
9. आवासों/फ्लैटों का आवंटन नगद भुगतान तथा किराया क्रय पद्धति के आधार पर किया जायेगा। निर्मित आवासों/फ्लैटों में 45 प्रतिशत आवास/फ्लैट नगद भुगतान तथा 55 प्रतिशत किराया क्रय पद्धति पर आवंटित किये जायेंगे।

10. राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में विभिन्न आय वर्ग के आवेदकों के पंजीकरण हेतु राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा किये जाने वाले प्रशासनिक-व्यय के दृष्टिगत नवीन पंजीकरण की प्रोसेसिंग फीस अल्प आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग-अ के आवेदकों द्वारा रुपये 700/- तथा 1000/- क्रमशः देय होगी एवं उपरोक्त देय प्रोसेसिंग फीस का किसी भी आवेदक को पुनर्भुगतान / समायोजन नहीं किया जाएगा।

11. उपरोक्त योजनान्तर्गत आवेदन पत्र के साथ जमा करायी जाने वाली पंजीकरण राशि, एवं प्रोसेसिंग फीस का विवरण निम्नानुसार है:-

तालिका-3

आवेदक का आय वर्ग	वार्षिक आय (रुपये में)	पंजीकरण राशि	प्रोसेसिंग फीस	कुल देय राशि
अल्प आय वर्ग	1,00,001/- से 2,50,000/-	15,000/-	700/-	15,700/-
मध्यम आय वर्ग-अ	2,50,001/- से 4,50,000/- तक	50,000/-	1000/- -	51,000/-

अ. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के आवेदक उपरोक्तानुसार निर्धारित पंजीकरण राशि की आधी राशि जमा करा सकते हैं परन्तु प्रोसेसिंग फीस पूरी जमा करानी होगी।

ब. वर्तमान में सेवारत थल सेना, नौ सेना, वायुसेना के सैनिक एवं भूतपूर्व सैनिक एवं इनकी वीरगनाएँ निर्धारित पंजीकरण राशि का 1/10 भाग ही जमा करा सकते हैं परन्तु प्रोसेसिंग फीस पूरी जमा करानी होगी।

12. आवेदन पत्र मण्डल की वैबसाइट से ऑन-लाईन ही भरे जावेंगे या रु. 30/- का भुगतान कर लोक मित्र के काउंटेर्स से भी भरे जा सकते हैं। इस हेतु आवश्यक पंजीकरण एवं प्रोसेसिंग फीस की राशि आवेदक सीधे ही अपने बैंक के माध्यम से / क्रेडिट कार्ड के माफत जमा करवा सकता है या चालान प्रिन्ट कर सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के खाता संख्या 3398557046 आई.एफ.एस.सी. कोड **CBIN0283291** में किसी भी सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया के खाते में जमा करवा सकते हैं। निर्धारित तिथि के पश्चात् प्राप्त पंजीकरण आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
13. आय वर्ग से ऊपर के आवासों के पंजीकरण नगद भुगतान पद्धति से ही मान्य होंगे। अल्प आय वर्ग के आवासों/फ्लैटों हेतु मध्यम आय वर्ग(ब) व उच्च आय वर्ग के आवेदक तथा मध्यम आय वर्ग(अ) हेतु उच्च आय वर्ग व आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग के आवेदक आवेदन नहीं कर सकेंगे एवं पात्रता आय वर्ग से नीचे की श्रेणी में आवेदन करने पर मूल पात्रता के आवेदक को प्राथमिकता प्रदान की जावेगी।
14. आवेदकों की आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक की कुल वार्षिक आय में पति/पत्नी तथा आश्रितों की कुल वार्षिक आय को सम्मिलित कर की जावेगी। कुल आय में निम्नांकित स्त्रोतों से हुई आय सम्मिलित होगी:-

(अ) स्वयं के लिए –

1. वेतन
2. विशेष वेतन
3. मंहगाई भत्ता तथा अतिरिक्त मंहगाई भत्ता
4. शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता
5. गृह/सम्पत्ति/व्यापार से आय
6. विनियोग से ब्याज
7. कोई अन्य आय जो आयकर के प्रयोजनों हेतु आय के रूप में हो।

(ब) आवेदक की पत्नी/पति की आय उपरोक्तानुसार।

(स) आवेदक के आश्रित की आय उपरोक्तानुसार।

15. फ्लैटों का निर्माण प्रारम्भ होते ही सफल आवेदकों को पूर्वग्रहण राशि के पत्र जारी किये जायेंगे, जिसमें निम्नानुसार प्रथम, द्वितीय व तृतीय पूर्वग्रहण राशि का भुगतान, पत्र जारी होने की तिथि से क्रमशः एक, चार व सात माह में जमा करवाकर चालान की प्रति कार्यालय में प्रस्तुत करनी आवश्यक होगी। यदि आवेदक राशि जमा कराने की सूचना नहीं देने के कारण लाटरी से वंचित रहता है तो इसके लिये आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा। पूर्वग्रहण राशि जमा नहीं होने की स्थिति में मण्डल फ्लैट का आवंटन नहीं करेगा एवं पंजीकरण नियमानुसार कार्यवाही करते हुए निरस्त कर दिया जायेगा तथा जमा पंजीकरण राशि में से नियमानुसार 20 प्रतिशत राशि की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी। मण्डल प्रथम पूर्वग्रहण राशि जमा होने पर आवेदक को लाटरी द्वारा फ्लैट आवंटन के लिये स्वतंत्र होगा।

फ्लैट की आय वर्गानुसार ली जाने वाली पूर्वग्रहण राशि का विवरण निम्नानुसार है:-

तालिका-4

क्र. सं.	आय वर्ग	किस्त (रुपये में)			योग
		प्रथम	द्वितीय	तृतीय	
1	अल्प आय वर्ग	10,000 /-	10,000 /-	10,000 /-	30,000 /-
2	मध्यम आय वर्ग-अ	40,000 /-	30,000 /-	30,000 /-	1,00,000

16. आवासीय इकाई से संबंधित सामान्य क्षेत्रों के उपयोग, मरम्मत, देखभाल तथा सम्मिलित सेवाओं जैसे जीना (स्टेयर केस) अहाते की दीवार, बगीचे, खुले, स्थान इत्यादि के प्रयोग तथा रख-रखाव के लिए प्रत्येक आवंटी को, आवंटियों की एक पंजीकृत संस्था (रजिस्टर्ड एजेन्सी) का सदस्य होना अनिवार्य होगा। रख-रखाव का खर्चा सोसायटी के माध्यम से आवंटी द्वारा वहन किया जावेगा। इस आशय की अण्डर-टेकिंग देने पर ही आवंटी को आवास/फ्लैट का कब्जा दिया जावेगा।
17. इस योजना में कुल प्राप्त आवेदन पत्रों में से वर्गानुसार एवं विकल्पानुसार प्रत्येक आय वर्ग में उपलब्ध आवासों/फ्लैटों की संख्या के बराबर सफल आवेदकों की लाटरी द्वारा वरीयता निर्धारित कर दी जायेगी। लाटरी के पश्चात् शेष असफल रहे आवेदकों को उनकी जमा पंजीकरण राशि का रिफण्ड (बिना ब्याज) नियमानुसार उसके बैंक खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा एवं बैंक से सम्बन्धित विवरण उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में रेखांकित बैंक से उनके आवेदन पत्र में अंकित पते पर रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा भेज दिया जायेगा।

18. मण्डल द्वारा एक शहर में एक ही समयावधि में विभिन्न वृत्तों में एक साथ योजनाएँ आरम्भ करने पर कोई भी व्यक्ति सभी योजनाओं में आवेदन करने की पात्रता रखेगा, परन्तु एक से अधिक योजना में आरक्षित होने पर उसे किसी एक योजना में आवास/फ्लैट प्राप्त करने का विकल्प आवश्यक रूप से देना होगा। आवेदक द्वारा उक्त तथ्य छुपाने पर यदि यह तथ्य जानकारी में आएगा तो आवेदक एक ही आवास/फ्लैट हेतु योग्य रहेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। इस आशय का उल्लेख आवेदक को शपथ पत्र में भी करना अनिवार्य होगा।

19. रिफण्ड

- (i) आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् तथा वरीयता लाटरी के आयोजन से पूर्व यदि कोई आवेदक योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से कोई कटौती नहीं करते हुए पंजीकरण राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी। प्रोसेसिंग फीस की राशि वापिस नहीं की जाएगी।

- (ii) योजना की वरीयता लाटरी के आयोजन के पश्चात तथा आरक्षण पत्र/ पूर्वग्रहण राशि पत्र जारी करने से पूर्व यदि कोई आवेदक इस योजना के तहत जमा कराई गई पंजीकरण राशि लौटाने का निवेदन करता है तो उसे पंजीकरण राशि में से 5 प्रतिशत की कटौती कर शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी।

- (iii) यदि आवेदक पूर्वग्रहण राशि का पत्र जारी होने के पश्चात राशि लौटाने का निवेदन करता है तो पंजीकरण राशि का 20 प्रतिशत कटौती करते हुए राशि बिना ब्याज के लौटा दी जावेगी। प्रोसेसिंग फीस एवं सरचार्ज की राशि वापिस नहीं की जाएगी।

20. प्रस्तावित योजना, आवेदकों की वरीयता निर्धारण के पश्चात्, यदि किन्हीं अपरिहार्य कारणों से मूर्तरूप नहीं ले पाती है तो ऐसी स्थिति में आवेदकों को उनकी पंजीकरण राशि 6 प्रतिशत सामान्य ब्याज सहित लौटा दी जायेगी। प्रोसेसिंग फीस एवं सरचार्ज की राशि वापिस नहीं की जाएगी।
21. आवास/फ्लैट आवंटन लाटरी के कार्यक्रम की घोषणा समाचार पत्रों/मण्डल की वेबसाइट पर सार्वजनिक सूचना के माध्यम से की जायेगी। इसमें आवेदक द्वारा आरक्षण राशि की देय किश्तें जमा करवाकर चालान की प्रतियां कार्यक्रम की निर्धारित अवधि में कार्यालय में प्रस्तुत करने वाले आवेदकों को वरीयता क्रमानुसार आवंटन लाटरी में सम्मिलित किया जायेगा।
22. मण्डल निर्मित आवासों/फ्लैटों की वास्तविक लागत कार्य पूर्ण होने के पश्चात निर्धारण करने हेतु पूर्णतः स्वतंत्र है एवं इस संबंध में मण्डल का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
23. किराया क्रय पद्धति से आवास/फ्लैट आवंटित होने पर तथा आवास/फ्लैट का कब्जा नहीं लिये जाने की स्थिति में यदि कोई आवंटी चाहे तो वह भुगतान पद्धति को नगद भुगतान में परिवर्तित करवा सकता है। इस बाबत आवंटी को आवंटन पत्र जारी होने की दिनांक से 6 माह के अन्दर आवेदन करना होगा। संशोधित आवंटन-पत्र पूर्व में जारी आवंटन पत्र के निरन्तर क्रम में जारी किया जायेगा तथा उसकी जारी करने की तिथि पूर्व में जारी पत्र की ही मान्य होगी एवं आवास/फ्लैट की एक मुश्त (नकद भुगतान) राशि नियत उक्त छः माह की अवधि में ही नियमानुसार शास्त्री/ब्याज सहित जमा करानी होगी। उक्त अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात आवंटित आवास/फ्लैट की कार्यवाही किराया क्रय पद्धति के अनुरूप ही की जायेगी। नकद भुगतान पद्धति से आवास/फ्लैट आवंटित होने पर उसे किराया क्रय पद्धति में परिवर्तित नहीं किया जावेगा।

24. आवंटन लॉटरी में आवेदक को फ्लैट के नम्बर आवंटित हो जाने के पश्चात् फ्लैट की देय बकाया राशि जमा कराने हेतु आवंटन-पत्र द्वारा सूचित किया जावेगा। उक्त आवंटन पत्र की मांग राशि जमा कराने के लिये समयावधि मण्डल द्वारा नियमानुसार प्रदान की जावेगी। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं कराने पर नियमानुसार कार्यवाही कर आवास/फ्लैट का पंजीकरण एवं आवंटन निरस्त कर दिया जावेगा तथा नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी।
25. पूर्वग्रहण राशि पत्र के मांग पत्र के अनुसार न्यूनतम प्रथम किस्त की राशि जमा कराने वाले आवेदकों को देख-रेख योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य की प्रगति के दौरान हीफ्लैटों का आवंटन कर दिया जायेगा, जिससे आवेदक अपने आवास/फ्लैट के निर्माण का अवलोकन स्वयं भी कर सके।
26. मण्डल के वर्तमान प्रावधानों के अनुरूप आवास/फ्लैट के आवंटन पत्र में वर्णित विविध खर्च देय होंगे जिनका आवास/फ्लैट के लागत (विक्रय मूल्य) में समावेश नहीं किया गया है। ऐसे खर्च निम्न प्रकार के होंगे:-
- क. **ए.एस.सी. (एन्सीलरी सर्विस चार्ज)** : यह राशि मध्यम आय वर्ग 'अ' / 'ब' / उच्च आय वर्ग के आवासों/फ्लैटों के लिए कुल कीमत का 3 प्रतिशत होगा।
- ख. **लौज राशि** : यह राशि भूमि की कुल कीमत पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से वसूलनीय होगी।
- ग. **किराया क्रय अग्रिम जमा राशि** : यह राशि जो कि आवास/फ्लैट की कुल कीमत का 5 प्रतिशत है, मण्डल के पास धरोहर के रूप में जमा रहेगी और आवंटी द्वारा विभिन्न बकाया राशि समय पर जमा न कराने की दशा में जब्त की जा सकती है। यह राशि किराया क्रय अवधि के संतोषप्रद रूप से पूर्ण हो जाने पर समायोजित/लौटा दी जावेगी।
- घ. **सेवाकर** : यह राशि आवंटन पत्र की कुल मांग राशि की 3.09 प्रतिशत की दर से वसूलनीय होगी।
- ङ. **विधिक शुल्क** - मण्डल के आवंटियों द्वारा दायर विभिन्न परिवादों के लिए मण्डल द्वारा वहन किये जा रहे व्यय हेतु अल्प आय वर्ग तथा मध्यम आय वर्ग-अ हेतु रु. 300/- तथा 500/- कमशः की राशि वसूलनीय होगी।
- य. **अन्य खर्च** :
- (I) निर्दिष्ट क्षेत्रफल से अधिक अतिरिक्त भूमि व कॉर्नर आवासों के लिए नियमानुसार अतिरिक्त राशि वसूल की जायेगी।
- (ii) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, राजस्थान आवासन मण्डल एवं अन्य विधिक संस्था द्वारा वसूलनीय कर यथा सर्विस टैक्स, सैस आदि भी मांग अनुसार आवंटी को पृथक से जमा करवाने होंगे।
27. मण्डल के आवास/फ्लैट केवल रिहायशी प्रयोजन हेतु उपयोग में लिये जावेंगे। आवास/फ्लैट में आवंटी किसी प्रकार का वाणिज्यिक निर्माण नहीं करा सकेगा और न ही वाणिज्यिक उपयोग करेगा। इस प्रावधान का उल्लंघन करने पर आवास/फ्लैट का आवंटन निरस्त किया जा सकेगा।

28. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम संख्या 17 व 18 में अभिकथित संबंधित विभागों द्वारा मांग किये जाने पर आवंटी को संपत्ति पर समस्त करों का भुगतान करना होगा जैसे आवास/फ्लैट सम्पत्ति कर, नगर निगम कर, विकास कर इत्यादि। इसके अतिरिक्त योजना के निवासियों की पंजीकृत सोसायटी द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों की पालना करनी होगी, साथ ही सोसायटी द्वारा निर्धारित सदस्यता शुल्क व अन्य शुल्क आवंटी को वहन करने होंगे।
29. यदि आवेदक, शपथ पत्र/आवेदन पत्र में कोई गलत सूचना देता है या कोई तथ्य छिपाता है तो उसका पंजीकरण तुरन्त रद्द कर दिया जावेगा। यदि आवास/फ्लैट का आवंटन/कब्जा हो गया हो तो भी मंडल ऐसे आवंटन को रद्द करने तथा आवास/फ्लैट का कब्जा वापस लेने के लिए सक्षम होगा। आवेदक की जमा राशियों में से नियमानुसार कटौती करते हुए शेष राशि बिना ब्याज के लौटा दी जायेगी एवं मण्डल आवेदक के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र होगा।
30. किसी नुकसान के होने से या वस्तुओं के चोरी चले जाने से बचने की दृष्टि से, निम्नांकित फिटिंग/फिक्सचर आदि का कार्य आवासन मंडल द्वारा आवंटी को कब्जा देने की वास्तविक तारीख से एक माह के भीतर पूर्ण कर दिया जायेगा :-
1. विद्युत/फिटिंग/फिक्सचर
 2. सेनेटरी फिटिंग
 3. अंतिम पुताई यदि कब्जा देने से पूर्व नहीं की गई हो।
31. मण्डल अपनी योजनाओं/आवासों/फ्लैटों में परिवर्तन/परिवर्द्धन कर सकता है व परिणामस्वरूप यदि कोई अतिरिक्त कार्य करवाया जाता है तो ऐसा व्यय आवंटी को वहन करना होगा। विशेष परिस्थितियां उत्पन्न होने पर मण्डल योजना में प्रस्तावित सेक्टरों के स्थान पर अन्य सेक्टरों में आवास/फ्लैट उपलब्ध कराने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होगा तथा इस विषय में आवंटी का कोई विवाद स्वीकार्य नहीं होगा।
32. योजना को पूर्ण एवं आंशिक रूप से निरस्त करने का अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित रहेगा।
33. पंजीकरण/आरक्षण/आवंटन मण्डल द्वारा बनाये गये नियमों/आदेशों/उप-बन्धों/परिपत्रों के तहत होगा। मंडल अपने द्वारा बनाये गये नियमों, आदेशों तथा परिपत्रों को बनाने/परिवर्तन करने के लिए पूर्णतः सक्षम होगा तथा पंजीकृत आवेदकों के लिए पूर्णतया बाध्यकारी होंगे।
34. सम्पत्ति निस्तारण विनियम, 1970 के नियम 19 के अनुसार यह स्पष्ट किया जाता है कि आवंटी को आवंटित सम्पत्ति की परिस्थितियों से पूर्णतः परिचित होना चाहिये और कब्जा लेने के बाद में किसी आगामी स्तर पर सम्पत्ति की परिस्थितियों के संबंध में शिकायत करने, आपत्ति उठाने या मांग करने का अधिकार नहीं होगा।
- 35 (अ) आवेदक अपने पत्राचार के पते में परिवर्तन की सूचना उप आवासन आयुक्त, वृत्त तृतीय, राजस्थान आवासन मण्डल, जवाहर सर्किल, जयपुर कार्यालय के पते पर देवें। पते में परिवर्तन की सूचना नहीं देने के कारण अथवा आवेदक की गलती से पत्र आवेदक को प्राप्त नहीं होने की दशा में मंडल द्वारा कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जावेगी। **पता परिवर्तन कराते समय वांछित**

दस्तावेजों की छायाप्रतियों के साथ पूर्ण वरीयता क्रमांक अवश्य लिखें। आवासन मण्डल द्वारा पता परिवर्तन की स्वीकारोक्ति के पश्चात ही पता परिवर्तन मान्य होगा। अतः आवेदक को परामर्श है कि इस संबंध में आवासन मण्डल से सूचना प्राप्त नहीं होने की स्थिति में संबंधित कार्यालय से पता परिवर्तन किए जाने की जानकारी प्राप्त कर लें।

- (ब) आवेदक द्वारा ऐसे स्थान जहां सामान्यजन का प्रवेश वर्जित हो, का पता अंकित करने की स्थिति में मण्डल द्वारा जारी पत्राचार प्राप्ति में होने वाले विलम्ब अथवा पत्राचार प्राप्त नहीं होने के लिए मण्डल उत्तरदायी नहीं होगा। ऐसी स्थिति में आवेदकों को परामर्श है कि वह समय-समय पर मण्डल के संबंधित कार्यालय से सम्पर्क करते रहें तथा समाचार पत्रों व मण्डल की वेबसाइट www.rhbonline.rajasthan.gov.in के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर लें।
36. यदि आवेदक आवास/फ्लैट आवंटन के पश्चात् मंडल को देय राशि के लिए वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करता है तो मंडल को कोई आपत्ति नहीं होगी।
37. आवेदन पत्र के कॉलम संख्या 8 में आवेदक द्वारा केवल पत्र व्यवहार का पता अंकित किया जाए तथा आवेदन पत्र पर केवल उसी व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए, जो इस योजना के अन्तर्गत आवास/फ्लैट लेना चाहता है।
38. आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में भुगतान पद्धति स्पष्ट इंगित की जानी चाहिए यदि नहीं करता है तो उसे नकद भुगतान पद्धति के अन्तर्गत माना जावेगा।
39. मण्डल द्वारा आवेदन पत्र स्वीकार करते समय समस्त आवेदकों की पात्रता की जांच किया जाना सम्भव नहीं है। अतः मिथ्या कथन, तथ्यों को छुपाने अथवा कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर कालान्तर में यदि आवेदक पंजीकरण हेतु अपात्र पाया जाता है, तो उस आवेदक का पंजीकरण आवेदन/आवंटन तथा उसके क्रम में की गई समस्त कार्यवाही, बिना कोई कारण बताओं नोटिस जारी किये निरस्त कर दी जावेगी तथा मण्डल के प्रचलित नियमों अनुसार कटीती करते हुए शेष राशि लौटा दी जायेगी।
40. मण्डल द्वारा समय समय पर मांगे गये शपथ पत्र/वचनबद्धता/अन्य आवेदन/अन्य प्रपत्र इत्यादि स्व हस्ताक्षरित हो एवं आवेदक द्वारा उन पर अपना नवीनतम फोटो चस्पा करते हुए उन्हें नियमानुसार राजपत्रित अधिकारी/नोटरी पब्लिक से सत्यापित कर प्रस्तुत करना होगा।